



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234741
CG-DL-E-31032022-234741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1483]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944

No. 1483]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मार्च, 2022

का.आ. 1535(अ).—चूंकि, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78(अ), दिनांक: 04 फरवरी, 1999 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के हरियाणा राज्य में 18.800 किमी से 93.000 किमी (दिल्ली/हरियाणा बोर्डर-हरियाणा/उत्तर प्रदेश बार्डर सेक्शन) तथा उत्तर प्रदेश राज्य में 93.000 किमी से 479.000 किमी (हरियाणा/उत्तर प्रदेश बोर्डर-कानपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है:

अतः चूंकि, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 104(अ) दिनांक: 18.01.2010 द्वारा सड़क खंडों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क लगाने और एकत्र करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया है:

"एनएचडीपी चरण-V के तहत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) के रूप में हरियाणा/उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-2 के दिल्ली-आगरा सेक्शन को 20.500 किमी. से 200.000 किमी. तक छह लेन का बनाना"

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा का.आ.104 (अ) दिनांक: 18 जनवरी, 2010 में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के पैरा 2 (का.आ. 104 (ई) दिनांक: 18 जनवरी, 2010) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

निम्नलिखित के स्थान पर

क. निर्माण अवधि के दौरान:-

क्र.सं.	शुल्क प्लाजा का स्थान	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1	एनएच-2 का 74.000 किमी	89.750
2	एनएच-2 का 164.000 किमी	89.750

ख . छह लेन का कार्य पूरा होने के बाद:-

क्र.सं.	शुल्क प्लाजा का स्थान	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1	एनएच-2 का 46.000 किमी	47.280
2	एनएच-2 का 94.000 किमी	63.220
3	एनएच-2 का 164.000 किमी	67.56 किमी और सिकंदरा में 1.44 किमी का एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसकी अनुमानित लागत 107.00 करोड़ रु. है।

पढ़ा जाए

क. निर्माण अवधि के दौरान:-

क्र.सं.	शुल्क प्लाजा का स्थान	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1	एनएच-2 का 74.000 किमी	89.750
2	एनएच-2 का 164.000 किमी	89.750

ख. पलवल ऊपरिगामी राजमार्ग को छोड़कर छह लेन का कार्य पूरा होने के बाद:-

क्र.सं.	शुल्क प्लाजा का स्थान	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	टिप्पणियाँ
1	एनएच-2 का 46.000 किमी	47.280	छह लेन का कार्य पूरा होने पर या उसके बाद शुल्क संग्रहण शुरू किया जाएगा।
2	एनएच-2 का 94.000 किमी	63.220	मौजूदा शुल्क प्लाजा स्थान (@74 कि.मी.पर) पर शुल्क संग्रहण वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होगा जबकि नए स्थान (@94 कि.मी. पर) शुल्क संग्रहण छह लेन का कार्य पूरा होने के बाद शुरू होगा और मौजूदा शुल्क प्लाजा स्थान (@74 कि.मी.) पर शुल्क संग्रहण बंद हो जाएगा।
3	एनएच-2 का 164.000 किमी	69.000	शुल्क वसूली वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होगी।

ग. पलवल ऊपरिगामी राजमार्ग का कार्य पूरा होने के बाद:-

क्र.सं.	शुल्क प्लाजा का स्थान	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
1	एनएच-2 का 46.000 किमी	45.84 किमी. और पलवल में ऊपरिगामी राजमार्ग की लागत 1.44 किमी. (सिकंदरा से स्थानांतरित)
2	एनएच-2 का 94.000 किमी	63.220
3	एनएच-2 का 164.000 किमी	69.000

[फा. सं. एनएचएआई/सीएमयू/एमटीआर/डीएटीआर/रिवजिनऑफफोनोटिफिकेशन]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2022

S.O. 1535(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O.78(E) dated the 04th February 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 18.800- km 93.000 (Delhi/ Haryana Border- Haryana/ Uttar Pradesh Border Section) in the State of Haryana and Km 93.000 – km 479.000 (Haryana/ Uttar Pradesh Border – Kanpur Section) in the State of Uttar Pradesh of National Highway No. 2 to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India bearing S.O. 104(E) dated 18.01.2010 authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

“Six laning of Delhi – Agra section of NH-2 from Km.20.500 to Km.200.000 in the State of Haryana/Uttar Pradesh under NHDP Phase-V as BOT (Toll) on DBFOT Pattern”

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 104 (E) dated 18th January, 2010.

Para 2 of the user fee notification (S.O. 104 (E) dated 18th January, 2010) shall be substituted as under:

In place of**A. During Construction Period:-**

S.No.	Location of Fee Plaza	Length (in km) for which Fee payable
1	Km 74.000 of NH-2	89.750
2	Km 164.000 of NH-2	89.750

B. After completing of six laning:-

S.No.	Location of Fee Plaza	Length (in km) for which Fee payable
1	Km 46.000 of NH-2	47.280
2	Km 94.000 of NH-2	63.220
3	Km 164.000 of NH-2	67.56 km and the elevated corridor at Sikandra of 1.44 km, the estimated cost of which is Rs. 107.00 Crore.

Read as

A. During Construction Period:-

S.No.	Location of Fee Plaza	Length (in km) for which Fee payable
1	Km 74.000 of NH-2	89.750
2	Km 164.000 of NH-2	89.750

B. After completion of six laning except Palwal Elevated highway:-

S.No.	Location of Fee Plaza	Length (in km) for which Fee payable	Remarks
1	Km.46.000 of NH-2	47.280	Fee Collection shall be started on or after completion of Six laning.
2	Km.94.000 of NH-2	63.220	The fee collection at existing fee plaza location (@ Km.74) shall commence from COD whereas fee collection at new location (@ Km.94) shall commence after completion of six laning and fee collection at existing fee plaza location (@ Km.74) shall cease.
3	Km.164.000 of NH-2	69.000	The fee collection shall commence from COD.

C. After completion of Palwal Elevated highway:-

S.No.	Location of Fee Plaza	Length (in km) for which Fee payable
1	Km 46.000 of NH-2	45.84 km. and cost of elevated highway at Palwal of 1.44 km. (shifted from Sikandra)
2	Km 94.000 of NH-2	63.220
3	Km 164.000 of NH-2	69.000

[F. No. NHAI/CMU/MTR/DATR/RevisionofFeeNotification]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.